# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–2/विदेश अनुज्ञा/ इति–वाणि/2020 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा श्री हरप्रीत सिंह कंग व्याख्याता वाणिज्य शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू राउमावि, पदमपुर, श्रीगंगानगर को 11.12.2021 से 07.04.2022 तक कुल 118 दिवस निजी प्रयोजन( माताजी जो USA में निवासरत है, की देखभाल हेतु ) हेतु USA जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

श्री हरप्रीत सिंह कंग ने अपने पत्र दिनांक 08.04.2022 के द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 08.04.2022 से 30.06.2022 तक माताजी की देखभाल हेतु अधिक रूकने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने हेतु लिखा है।

श्री हरप्रीत सिंह कंग व्याख्याता वाणिज्य को दिनांक 08.04.2022 से 30.06.2022 (कुल 84 दिवस) तक USA में रहने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगीं।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/मा/संस्था/सी–2/विदेश अनुज्ञा/इति–वाणि/2022 दिनांक 30-05-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.............................
2. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.................
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
4. संबंधित प्रधानाचार्य,
5. संबंधित कार्मिक.........................
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के आधार पर दी जाती है:–

| क्र. सं. | नाम कार्मिक मय पद एवं पदस्थापन (राउमावि) | विदेश यात्रा अवधि मय विदेश जाने का कारण | विदेश का नाम जहां यात्रा करनी है |
|---|---|---|---|
| 1 | अनिता बतरा, व्याख्याता (गणित) राउमावि पक्का सारना, (हनुमानगढ़) | दिनांक 02.06.2022 से 31.07.2022 तक कुल 60 दिन (साठ दिवस) **पुत्र व पुत्री से मिलने हेतु** | **मेलबर्न, आस्ट्रेलिया** |

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. विदेश से भेजा गया ''त्यागपत्र'' स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
6. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान जहाँ–जहाँ पर रहेंगे उनके पते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
8. विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
10. अ. सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/ विचाराधीन नहीं है।
    ब. कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
    स. कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।
    द. कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

**क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/विदेशयात्रा–अनुज्ञा/2019/165** **दिनांकः** 30 05/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संबधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग बीकानेर।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. प्रधानाचार्य, राउमावि, पक्का सारना, (हनुमानगढ़)
5. संबधित कार्मिक
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## :–अनापत्ति प्रमाण पत्र:–

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) द्वारा उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा/पद हेतु विज्ञापित भर्तियों में सम्मिलित होने हेतु विभाग से अनापत्ति चाही हैं। यदि निम्नलिखित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का उनके नाम सामने अंकितानुसार पद हेतु चयन हो जाता है, तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं हैं।

| क्र.सं | कार्मिक का नाम | विषय | जन्मतिथी | पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEETA DEVI | History | 04/03/1982 | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHOMA BLOCK RAMGARH ALWAR | राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर Secondary Headmaster (Sanskrit Education |
| 2 | NIDHI GUPTA | Commerce | 28/06/1996 | MAHARANA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAHAZPUR Bhiwara | राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर Assistant Professor |
| 3 | TARUN KUMAR | Commerce | 31/05/1977 | MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SRI KARANPUR GANGANAGAR | राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर Assistant Professor |

यदि उक्त व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) का चयन उनके नाम के सामने अंकितानुसार सेवा में हो जाता है तो इन्हें विभाग छोडने से पूर्व विभाग से पुनः अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य हैं।

Rajsthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/इति0–वाणि0/अनापत्ति/2020–21 दिनांकः–30-05-22

प्रतिलिपिः–निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. सम्बन्धित उप निदेशक–माध्यमिक शिक्षा
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक शिक्षा
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/कार्मिक
5. रक्षित/निजी कार्मिक

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर